न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/650

मिसल नम्बर– 94 / 2025

प्रेमराज योगी आयु 65 वर्ष आत्मज स्व0 श्री गोपाल नाथ योगी
2.श्रीमती कोशल्या बाई आयु 63 वर्ष पत्नि श्री प्रेमराज योगी निवासी शुभम टेन्ट हाउस के पास बजरंगपुरा सकतपुरा थाना कुन्हाड़ी कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.सुरेन्द्र योगी पुत्र श्री प्रेमराज योगी
2.राजेन्द्र योगी पुत्र श्री प्रेमराज योगी
3.नरेन्द्र योगी पुत्र श्री प्रेमराज योगी
4.जितेन्द्र योगी पुत्र श्री प्रेमराज योगी निवासीगण शुभम टेन्ट हाउस के पास बजरंगपुरा सकतपुरा थाना कुन्हाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/2/26

उपस्थितिः–
1.श्री प्रेम कुमार सिंह प्रार्थी अधिवक्ता
2.श्री ठा0 सी.एम. कुशवाह अप्रार्थी नं0 1 व 4 अधिवक्ता
3.अप्रार्थी नं0 2 व 3 स्वयं।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण पति पत्नि है, तथा वृद्ध है, वरिष्ठ नागरिक है, जो अपने स्वयं के मकान शुभम टेन्ट हाउस के पास बजरंगपुरा सकतपुरा थान कुन्हाड़ी कोटा में निवासरत है। प्रार्थीगण के पक्ष में इस मकान का नगर विकास नगर कोटा द्वारा दिनांक 02.05.2023 आवासीय पटटा जारी किया हुआ है, उसका पंजीयन उपपंजीयक प्रथम कार्यालय में दिनांक 08.05.2023 को हुआ है, जिसका सारा निर्माण कार्य प्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से कराया हुआ हे। प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के पुत्र हैं, जो विवाहित हैं, तथा अपने परिवार के साथ प्रार्थीगण के साथ ही इसी मकान मे निवास करते हैं। इस मकान में 5 कमरे हैं, लेट बाथ व बरामदा बने हुए है, जिनमे प्रार्थीगण के साथ ही प्रतिपक्षीगण अपने परिवार सहित निवास करते है। लेकिन प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को मकान के कमरो से बाहर निकाल रखा है। इस कारण प्रार्थीगण मकान के बरामदे मे रह रहे हैं। प्रतिपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अकारण प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच, लडाई झगडा कर मारपीट करते है, तथा मकान से भगा देने की धमकियां देते हैं, जब कि प्रार्थीगण कोई काम धन्धा नही कर सकते है, वे वृद्ध है, उनको खान पान व बीमारी मे इलाज पर दवाइयों आदि पर काफी रकम खर्चा करना पडता है, उनकी आय का कोई साथन नहीं है। वे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे है। जीवन निर्वाह हेतु प्रतिपक्षीगण से मांग करने पर जो उनके पुत्र है, वे लड़ाई झगडा करते हैं, तथा चारो मे कोई भी आर्थिक मदद नही कर रहे है, उसे भुखो मरने की नौबत आ गई है। प्रार्थीगण अपने मकान से प्रतिपक्षीगण को निकाल कर मकान को किराये पर देकर उसकी आय से गुजर बसर करना चाहते है। प्रतिपक्षीगण सम्पन्न व्यक्त हैं, वे लगभग 2,00,000 रूपया मासिक कमाते है। प्रत्येक प्रार्थीगण 10–10 हजार रूपया प्रतिपक्षीगण से मासिक खर्चा हेतु प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे इस अधिनियम के तहत प्रतिपक्षीगण से संयुक्त तथा पृथक पृथक रूप से 10,000,00 रूपया मासिक प्रत्येक अप्रार्थीगण से अपने जीवन यापन हेतु एवं बीमारी के इलाज आदि हेतु प्राप्त करने तथा अपने उक्त मकान से प्रतिपक्षीगण को बेदखल करने के अधिकारी है, जिसके लिए माननीय न्यायालय की सहायता आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को आदेश प्रदान किया जावे कि प्रतिपक्षीगण संयुक्त या पृथक पृथक रूप से 10,000 रूप्या निर्वाह भत्ता खाना खुराक, इलाज हेतु प्रत्येक प्रार्थीगण को अदा करे। प्रतिपक्षीगण को मकान शुभम टेन्ट हाउस के पास बजरंगपुरा सकतपुरा थाना कुन्हाड़ी कोटा से बेदखल किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 1 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जिस मकान का पट्टा अपने पक्ष में जारी किया जाना अंकित किया गया है। उक्त पट्टा प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षागण से आपसी छल करके धोखाधड़ी की जाकर तथ्यों को छुपाकर तथाकथित पट्टा फर्जी एवं कूटरचित तैयार करवाया गया है। वास्तविकता यह कि उक्त मकान प्रतिपक्षीगण के द्वारा संयूक्त रूप से दिनांक 12/10/2012 को श्री राजू गुर्जर पुत्र श्री रतन गुर्जर निवासी कायन हाउस के पास, नयापुरा कोटा से जर्ये एग्रीमेंट क्रय किया गया था जिसमें बाद खरीद से तमाम निर्माण कार्य भी प्रतिपक्षी क्रम 1 व 4 के द्वारा धीरे धीरे पैसा इकड्डा करके करवाया गया है । उक्त मकान (भूखण्ड) की खरीद–फरोख्त के सम्बंध में एक इकरारनामा विक्रेता श्री राजू गुर्जर द्वारा प्रतिपक्षी गण के संयुक्त नाम पर आलेखित कर निष्पादित किया हुआ है, जिसे नोटरी श्री नन्दकिशोर सैनी के कार्यालय में क्रमांक 3891 पर दिनांक 12/10/2012 को तस्दीक किया हुआ है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित सम्पति से प्रार्थीगण का कोई सम्बंध नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा यह भी अंकित किया गया है उनके पास आय कोई साधन नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण पूर्ण रूप से साधन सम्पन्न है क्योंकि उनके पास पुश्तैनी आराजी करीबन 7 बीघा ग्राम बलदेवपुरा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी तथा पुश्तैनी आराजी माफी डोहली करीबन 6 बीघा ग्राम आजन्दा तह. के, पाटन में स्थित है। जिससे उन्हें प्रति वर्ष 3 लाख रूपये के लगभग आमदनी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी क्रम 2 को प्रतिपक्षीगण के ननिहाल पक्ष जोकि बोरखंडी कोटा में स्थित हैं. की आराजी का बेचान करके 1 करोड रूपये भी प्राप्त हुये हैं। उपरोक्त समस्त रकम प्राथथींगण के पास ही है। वे प्रतिपक्षी क्रम 1 व 4 को एक पैसा भी उनके घर खर्च हेतु नहीं देते हैं । जबकि प्रतिपक्षी क्रम 1 व 4 के पास अपना कोई स्थायी रोजगार नहीं है । वे जैसे तैसे अपने परिवार की आजीविका चल रहे हैं। फिर भी प्रतिपक्षी क्रम 1 व 4 प्रार्थीगण को प्रेमपूर्वक अपने साथ रखते आ रहे है तथा उन्हें तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाते रहे है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 के आपसी बहकावे में आकर पेश किया गया है। जबकि प्रतिपक्षी क्रम 1 व 4 का हमेशा प्रार्थीगण के प्रति सद्व्यवहार कायम रहा है। अतः उपरोक्तानुसार जवाब पेश कर विनय है कि प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे ।

अप्रार्थी नं0 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3, प्रार्थीगण के साथ कोई गलत व्यवहार नही करते है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तो प्रार्थीगण को पूरा ख्याल रखते है, उनका भरण–पोषण करते है और फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को मकान से निष्कासित किये जाने व भरण–पोषण के आदेश उनके विरुद्ध किये जाते है, तो उसके लिए भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पूरी तरह से सहमत है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 दैनिक मजदूरी करते है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मुश्कल से 10–15 हजार रूपये मासिक कमाते है, फिर भी यदि माननीय न्यायालय आदेशित करते है, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राशि अदा करने के लिए तैयार है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने माता–पिता का भरण–पोषण कर रहे है और सार संभाल भी कर रहे है और इलाज भी करा रहे है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार से प्रार्थीगण का भरण–पोषण करते रहेगें और इलाज करवाते रहेगें । अप्रार्थीगण दैनिक मजदूरी करते है और अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की मुश्किल से 10–15 हजार रूपये मासिक आय अर्जित करते है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थीगण की सेवा सुश्रूषा करते रहे है और उनकी हारी–बीमारी में भी पूरा ख्याल रखते है और निरन्तर उनका भरण–पोषण करते चले आ रहे है और भविष्य में भी इसी प्रकार से अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की सेवा करते रहेगें, तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई तकलीफ एवम परेशानी नही है और न ही अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 होने देगे तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3, प्रार्थीगण को भरण–पोषण के रूप में दोनो मिलकर 10,000/–रूपये प्रतिमाह नियमित अदा करते रहेगे। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में यथोचित आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की ओर से फोटो कॉपी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रजिस्ट्री एवं अप्रार्थी नं0 1 व 4 की ओर से नकल जमाबंदी खाता संख्या 103 नया ग्राम बलदेवपुरा, नकल जमाबंदी खाता संख्या 214, नकल इकरारनामा, मुख्तार नामा एवं शपथ पत्र पेश किया है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के पक्ष में उपरोक्त वर्णित मकान का नगर विकास नगर कोटा द्वारा दिनांक 02.05.2023 आवासीय पटटा जारी किया हुआ है, उसका पंजीयन उपपंजीयक प्रथम कार्यालय में दिनांक 08.05.2023 को हुआ है, जिसका सारा निर्माण कार्य प्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से कराया हुआ है। प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण को मकान के कमरो से बाहर निकाल रखा है। इस कारण प्रार्थीगण मकान के बरामदे मे रह रहे हैं। प्रतिपक्षीगण अकारण प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच, लडाई झगडा कर मारपीट करते है, तथा मकान से भगा देने की धमकियां देते हैं, जब कि प्रार्थीगण कोई काम धन्धा नही कर सकते है, वे वृद्ध है, उनको खान पान व बीमारी मे इलाज पर दवाइयों आदि पर काफी रकम खर्चा करना पडता है, उनकी आय का कोई साथन नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त कथनों को अप्रार्थीगण नं0 1 व 4 की ओर से खण्डन करते हुये कथन किया गया है कि कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जिस मकान का पट्टा अपने पक्ष में जारी किया जाना अंकित किया गया है। उक्त पट्टा प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षागण से आपसी छल करके धोखाधड़ी की जाकर तथ्यों को छुपाकर तथाकथित पट्टा फर्जी एवं कूटरचित तैयार करवाया गया है। उक्त मकान प्रतिपक्षीगण के द्वारा संयूक्त रूप से दिनांक 12/10/2012 को श्री राजू गुर्जर पुत्र श्री रतन गुर्जर निवासी कायन हाउस के पास, नयापुरा कोटा से जर्ये एग्रीमेंट क्रय किया गया था। प्रार्थीगण पूर्ण रूप से साधन सम्पन्न है क्योंकि उनके पास पुश्तैनी आराजी करीबन 7 बीघा ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी तथा पुश्तैनी आराजी माफी डोहली करीबन 6 बीघा ग्राम आजन्दा तह. के, पाटन में स्थित है। जिससे उन्हें प्रति वर्ष 3 लाख रूपये के लगभग आमदनी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी क्रम 2 को प्रतिपक्षीगण के ननिहाल पक्ष जोकि बोरखंडी कोटा में स्थित हैं. की आराजी का बेचान करके 1 करोड रूपये भी प्राप्त हुये हैं। अप्रार्थीगण नं0 1 व 4 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या 103 नया ग्राम बलदेवपुरा, नकल जमाबंदी खाता संख्या 214, नकल इकरारनामा, मुख्तार नामा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

नकल इकरारनामा के अवलोकन से अप्रार्थीगण नं0 1 व 4 की ओर से किया गया कथन उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान अप्रार्थीगण ने राजू गुर्जर आत्मज रतन गुर्जर से क्रय किया है एवं प्रार्थी नं0 1 के पास पुश्तैनी आराजी करीबन 7 बीघा ग्राम बलदेवपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी में स्थित है जिससे प्रार्थीगण को प्र्याप्त आय होती है। प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण नं0 1 व 4 के उक्त कथनों को बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त साधन है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा